(32)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

प्र0क0 विविध /2018/छतरपुर/भू–रा0 विविध-6385/2018/छतरपुर/भू.रा.

श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा
द्वारा आज दि. 4/12/18 25050 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10.12.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4.12.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

4/12/18

मु0 लतीफ खां तनय बाबू खां
निवासी ग्राम पुनगवां तहसील
बिजावर जिला छतरपुर, म0प्र0

———आवेदक

विरूद्व

2— म0प्र0 शासन

———अनावेदक

भूल सुधार वावत् आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959

श्रीमान् महोदय,

1–यह कि, श्रीमान् न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक एक/विविध/छतरपुर/भू–रा /2017/2103 में दिनांक 17/08/2017 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से आदेश के पृष्ठ कमांक 4 में नीचे से लाइन नं0 3 एवं 4 में मु0 लतीफ खां तनय बाबू खां के स्थान पर शेख कल्लू खां तनय इद्दू खां टंकित हो गया है।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त आदेश के पृष्ठ कमांक 4 में नीचे से लाइन नं0 3 एवं 4 में शेख कल्लू खां तनय इद्दू खां के स्थान पर मु0 लतीफ खां तनय बाबू खां किये जाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

आवेदकगंण

दिनांक :–04.12.2018

स्थान :– ग्वालियर

मु0 लतीफ खां तनय बाबू खां
द्वारा अभिभाषक
रजनी वशिष्ठ शर्मा (एडवोकेट)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक विविध–6385 / 2018 / छतरपुर / भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
6.12.18	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर आवेदन अंतर्गत धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि इस न्यायालय के प्रकरण कमांक एक / विविध / छतरपुर / भू.रा / / 2017 / 2103 में पारित आदेश दिनांक 17.8.17 भूलवश टंकण की त्रुटि से आदेश के पृष्ठ कमांक 4 में नीचे से लाइन नम्बर 3 एवं 4 में मु0 लतीफ खां के स्थान पर शेख कल्लू खां तनय इद्दू खां टंकित हो गया है। जिसे सुधार करने का अनुरोध किया गया है। 2–आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण कमांक एक / विविध / छतरपुर / भू.रा / / 2017 / 2103 में पारित आदेश दिनांक 17.8.17 के पृष्ठ कमांक 4 में नीचे से लाइन नम्बर 3 एवं 4 में शेख कल्लू खां तनय इद्दू खां के स्थान पर मु0 लतीफ खां तनय बाबू खां पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	